150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालयः–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

–::: ज्ञापन :::–

क्रमांकः–Q-63 भोपाल, दिनांकः–15-05-2020

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला अधिवक्ता संघ,
जिला–भोपाल. म0प्र0

अध्यक्ष,
तहसील अधिवक्ता संघ,
तहसील बैरसिया, जिला–भोपाल. म0प्र0

विषय :– लॉक–डाउन अवधि में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई हेतु अनुमति बाबत्।

––00––

विषयांतर्गत लेख है, जिन विद्वान अधिवक्तागण को आवेदन अधीन (धारा–437, 439 एवं 457 द0प्र0सं0 आदि) प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उन्हें उन आवेदनों पर आगामी कार्यवाही में भाग लेने हेतु पुनः अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक रिमाण्ड न्यायालय की कॉज़–लिस्ट नियत तिथि के एक दिवस पूर्व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी, जिसकी एक प्रति अधिवक्ता संघ को भी उपलब्ध करवाई जावेगी। कॉज़–लिस्ट के अनुसार संबंधित अधिवक्ता अपने मामले में पैरवी हेतु उपस्थित हो सकेंगे।

यहॉं स्पष्ट किया जाता है, कि केवल एक मामले में एक अधिवक्ता को ही न्यायालय परिसर में आने की अनुमति प्राप्त होगी और जिन्हें अनुमति दी गई है, वही अधिवक्ता न्यायालय में आयेंगे और एक मामले की अनुमति दूसरे मामले के लिये मान्य नहीं होगी।

Sd/-
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

क्रमांकः–Q-63 भोपाल, दिनांकः–**15-05-2020**

प्रतिलिपिः:–

1– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर सूचनार्थ और पालनार्थ प्रेषित्।

2– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

15.5.2020

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

Scanned with CamScanner